



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032021-225566
CG-DL-E-01032021-225566

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 896]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 1, 2021/फाल्गुन 10, 1942

No. 896]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 1, 2021/PHALGUNA 10, 1942

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2021

का.आ. 969(अ).—साधारण बीमा (अधिकारियों और विकास कार्मिकों की सेवा समाप्ति, अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति) स्कीम, 1976 के पैरा 4 के उप-पैरा (4क) के अंतर्गत ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) श्रीमती एस. एन. राजेश्वरी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी नोटिस को स्वीकार किए जाने और उनकी नोटिस अवधि को कम करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात वे दिनांक 26.2.2021 के अपराह्न से सेवानिवृत्त एवं सीएमडी, ओआईसीएल के पद से कार्यमुक्त मानी जाएंगी।

[फा. सं. ए-11011/9/2020-बीमा-II]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2021

S.O. 969(E).—Consequent upon acceptance of notice for voluntary retirement under sub-paragraph (4A) of paragraph 4 of General Insurance (Termination, Superannuation and Retirement of Officers and Development Staff) Scheme, 1976 and the approval of the Competent Authority for curtailment of her notice period, Smt. S.N. Rajeswari, Chairman-cum-Managing Director (CMD) of the Oriental Insurance Company Limited (OICL), will stand retired and relinquish charge of the position of CMD, OICL on 26.2.2021 afternoon.

[F. No. A-11011/9/2020-Ins.-II]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.